Inche Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2011/श्रावण 12, 1933
No. 1498]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2011/SRAVANA 12, 1933

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अंगस्त, 2011

का.आ. 1791(अ),----केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सारणी के स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :---

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में विस्तार
(1)	(2)	(3)
48	कर्नाटक राज्य में देवीहल्ली-हासन	110.00 कि.मी. से 189.500 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच-14013/3/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the3rd August, 2011

S.O. 1791(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch specified in column (3) of the following Table of the section specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :---

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in kilometers	
(1)	(2)	(3)	
48	Devihalli - Hassan in the State of Karnataka	From Km. 110.000 to Km. 189.500	

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2011

का.आ. 1792(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तरीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् ----

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंग्रे, अर्थात् :---

11.	राष्ट्राय राजमाग स. 4, 10.0 कि.मा. स 592.0 कि.मा. (बगलार स कनाटक/महाराष्ट्र बांडर)	कनोटक राज्य सरकार"।
,	तक को खेड़कर] और 216.914 कि.मी. से 318.000 कि.मी. (बैंगलोर-होस्कोट-कर्नाटक/आध्र प्रदेश बार्डर), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4क, [0.000 कि.मी. से 84.120 कि.मी. (बेलगाम से गोवा/कर्नाटक	
	बार्डर) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13, [102.00 कि.भी.	
	से 299.000 कि.मी. (बीजापुर-हुंडगुंड-होस्पेट सेक्शन) और 743.900 कि.मी. से 745.000	
	कि.मी. (मरोली जंक्शन से नन्धुर जंक्शन) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17,	
	[3.700 कि.मी. से 17.200 कि.मी., 283.300 कि.मी., से 376.700 कि.मी.	
•.	(कुंडरपुर-सुरथकल-नन्थुर-मंगलौर-कर्नाटक/केरल बार्डर) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 48, [28.200 कि.मी. से 189.500 कि.मी., (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर	
	नीलामंगला जंक्शन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के देवहल्ली से इसन) और 328.000	
	कि.मी. से 345.000 कि.मी. (बी.सी. रोड से पाडील जंक्शन) तक को छोड़कर], राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 63, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207,	
	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 (इसके	
	अंतर्गत बीजापुर से विस्तार जेवारगी~गुलबर्ग को जोड़ते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से इसके	
	जंक्शन होमनाबाद के निकट समाप्त होने वाले विस्तार भी है) और सं. 234 का उतना भाग	
	जितना कर्नाटक राज्य में स्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/3/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित को गई थी और सं. का.आ. 2706(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2010 द्वारा ॲतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2011

S.O. 1792(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :--

In the Schedule to the said notification, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :--

"11 So much of National Highway No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 State Government of Karnataka".

(Bangalore to Karnataka/Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km. 318.000 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No. 4 A [excluding from Km. 0.000 to Km. 84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border)], National Highway No.9, National Highway No.13 [excluding from Km. 102.00 to Km. 299.000 (Bijapur-Hungund-Hospet section) and from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], National Highway No.17

2

** 1 1

[excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200, Km. 283.300 to Km. 376.700 (Kundarpur-Surathkal-Nanthoor-Mangalor-Karnataka/Kerala Border)], National Highway No. 48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 189.500 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Hassan) and from Km. 328.000 to Km. 345.000 (B.C Road to Padil Junction)], National Highway No. 63, National Highway No. 67, National Highway No. 206, National Highway No. 207, National Highway No. 209, National Highway No. 212, National Highway No. 218 (including extension from Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and terminating at its junction with National Highway 9 near Homnabad) and National Highway No. 234 as are situated within the State of Karnataka.

[F. No. NH-14013/3/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note :--- The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2706(E), dated the 2nd November, 2010.

_____3